(23)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:– 1/2021 दायरा दिनांक 01.02.2021

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

सुमतकुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति महाजन निवासी शाहबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
– प्रार्थी

बनाम

1. बादाम पुत्र देवीसिंह जाति अहीर निवासी घोघरा तहसील शाहबाद जिला बारां राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां राज0

– अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, अजय अग्रवाल :– अभिभाषक, प्रार्थी
श्री अरविन्द शर्मा, कुम्हेर यादव :– अभिभाषक, अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम 1970

निर्णय दिनांक 11.08.2025

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन पत्रावली एवं अप्रार्थी की तलबी की गई।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि अप्रार्थीकम 1 को दिनांक 27.08.1998 को ग्राम सहरोल तलहटी तह0 शाहाबाद की आराजी खसरा नं. 778 रकवा 3 बीघा भूमि अप्रार्थी कम 2 द्वारा आवन्टित की गई है यह आवंटन कृषि भूमि आ.नि. 1970 के प्रावधानों के विपरीत किया गया है जिसे प्रार्थी निम्न आधारो पर निरस्त किये जाने का निवेदन करता है। यह कि आवन्टी ग्राम सहरोल तलहटी या ग्राम सहरोल तलहटी की ग्राम पंचायत शाहाबाद का निवासी नही है आवन्टी ग्राम पंचायत बीलखेडामाल के ग्राम घोघरा का निवासी है इस कारण अप्रार्थी कम 1 को किया गया आवन्टन निरस्तनीय है। आवन्टी ने कभी कृषि कार्य नही किया इस तरह आवन्टी सदभावी कृषक नही है और आवन्टी ने अपूर्ण आवन्टन कमेटी को अपने प्रभाव में लेकर गलत तथ्यों पर नियम विरूद्व आवन्टन कराया है ।

यह कि आवन्टन से पूर्व उक्त भूमि कि न तो कोई उदघोषणा जारी की है न ही आवन्टी द्वारा उक्त खसरा नं. की भूमि का आवंटन का आवेदन किया है उक्त भूमि वक्त आवंटन प्रार्थी के कब्जे में थी इस तरह उक्त भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध नही थी इसके बाद भी आवंटन कमेटी ने उक्त भूमि का

आवंटन कर कानूनी भूल की है। उक्त भूमि कथित आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसे प्रार्थी ने काफी श्रम समय व पैसा खर्च कर काबिल काश्त बनाया है।

यह कि अप्रार्थी को आवंटन के पश्चात उक्त भूमि पर न तो कभी कब्जा रहा है न प्रार्थी को दखल दिया है न ही आवंटी अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आज तक एक क्षण भी काश्त किया गया है अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवन्टन एक कागजी आवन्टन है आवन्टी ने शर्तो का पालन नही किया है
यह कि आवन्टन अपूर्ण कोरम द्वारा किया गया है इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में किया गया आवन्टन कानून की नजर में नल एण्ड बोईड है अप्रार्थी क्रम 2 सर्वोच्च भू–स्वामी होने के कारण औपचारिक पक्ष कार है

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बहस के दौरान कथन किया कि आवन्टन से पूर्व उक्त भूमि कि कोई उदघोषणा जारी नही की। उक्त भूमि वक्त आवंटन प्रार्थी के कब्जे में थी, आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी वक्त आवंटन मौके पर खाली भूमि नहीं थी, बिना पूर्ण कोरम के अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के नाम आवंटन कर दी गई। अप्रार्थी को आवंटन के पश्चात विवादित भूमि पर न तो कभी कब्जा रहा है और न दखल दिया है न ही आवंटी अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर कभी कब्जा लिया है आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालन नही कि है इस प्रकार का किया गया आवंटन विधी विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी ने 27 साल बाद अपील पेश की है इतनी देरी से पेश करने के क्या कारण रहे है अपील मेमो मे कारण नही बताया गया है अप्रार्थी को खातेदारी मिल गई है अपील किस अधिनियम के तहत पेश की। प्रार्थी द्वारा पूर्व मे कब्जे का कोई साक्ष्य पेश नही किया। उद्घोषणा में लिखा जाता है कि भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध है। पूर्ण कोरम से अप्रार्थी के नाम आवंटन किया गया है।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों व बहस का अवलोकन कर मनन किया तथा पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पर आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त आवंटन मौके पर भूमि खाली नहीं थी, आवंटी का आज तक कब्जा नहीं रहा। सदैव से प्रार्थी का ही कब्जा रहा है। परन्तु आवंटन से पूर्व प्रार्थी का कब्जा केवल अतिचारी का है चूंकि यह कानूनी कब्जा नहीं हैं। इसलिए सभी उद्देश्यों के लिए विवादित भूमि को आवंटन के लिए उपलब्ध मान लिया जाना चाहिए और उनके कब्जे को सुरक्षित नहीं किया जा सकता और भूमि के अतिचारियों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। प्रार्थी ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया जिससे आवंटन विधि विरूद्ध किया गया हो।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू–राजस्व अधिनियम 1970 अस्वीकार किया जाता है तथा आवंटन सलाहकार समिति पूर्ण कोरम होने से किया गया आवंटन ग्राम सहरोल तलहटी के खसरा नम्बर 778 रकबा 3.00 बीघा अप्रार्थी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उक्त भूमि का किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहबाद (बारां)